न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुरजा (बुलन्दशहर)।

सत्र वाद संख्या–10/2025

सरकार बनाम सलीम उर्फ सुक्खा।

आरोप

मै दिलीप कुमार सचान, अपर सत्र न्यायाधीश खुर्जा (बुलन्दशहर) आप सलीम उर्फ सुक्खा पर निम्नलिखित आरोप लगाता हूँः–

1. यह कि दिनांक 25.02.1995 समय करीब 09:15 पी0एम0 बजे स्थान पीला बम्बा जी0टी0 रोड अन्तर्गत क्षेत्र थाना खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर में आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध संगठन बनाया, जिसका उद्देश्य बलबा करना था। इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 147/149** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर विधि विरूद्ध जमाव गठित करके घातक आयुध (तमंचे) से सज्जित होकर बलबा कारित किया। इस प्रकार आपने धारा **भा0दं0सं0 की धारा 148/149** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी एस.एच.ओ. मोहनलाल व उनके हमराहियान पुलिसकर्मियों को जान से मारने की नीयत से उन पर तमन्चे से फायर, ऐसे आशय, ज्ञान एवं परिस्थितियों में किया कि यदि आपके द्वारा की गयी उपहति से उनकी मृत्यु हो जाती तब आप उसकी हत्या के दोषी होते। इस प्रकार आपने **भा0दं0सं0 की धारा 307/149** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान मे है।

4. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर पुलिस द्वारा आपकी जामा तलाशी से आपके कब्जे से एक अदद अवैध चाकू बरामद किया गया, जिसको रखने का आपके पास कोई लाईसैंस नहीं था। इस प्रकार आपने **धारा 25/4 आयुध अधिनियम** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया, जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप लोगों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त आरोप मे आपका परीक्षण इस न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 29.01.2025

आरोप पढ़कर अभियुक्त को सुनाया व समझाया गया जिससे उसने इंकार किया व विचारण की मांग की।

(दिलीप कुमार सचान)
अपर सत्र न्यायाधीश,
खुरजा(बुलन्दशहर)

दिनांकः 29.01.2025

राजकुमार शर्मा–आशुलिपिक।

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, खुरजा (बुलन्दशहर)।

सत्र वाद संख्या–10/2025

सरकार बनाम सलीम उर्फ सुक्खा।

अपराध संख्या : 81/1995 व 85/1995

धारा : 147/149, 148/149, 307/149 भा0दं0सं0
व 25/4 आयुध अधिनियम

थाना : खुर्जा नगर जिला बुलन्दशहर।

आदेश

मुकदमा पेश हुआ। अभियुक्त उपस्थित आया।

मैने आरोप के बिन्दु पर विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप का वर्णन करते हुए यह भी बताया कि वह अभियुक्त पर लगाये गये आरोप को किस साक्ष्य से साबित करने की प्रस्थापना करते है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से मेरी राय में अभियुक्त पर आरोप जुर्म अन्तर्गत धारा 147/149, 148/149, 307/149 भा0दं0सं0 व 25/4 आयुध अधिनियम का आरोप विरचित किये जाने का पर्याप्त आधार है।

तद्नुसार अभियुक्त सलीम उर्फ सुक्खा पर जुर्म अन्तर्गत धारा 147/149, 148/149, 307/149 भा0दं0सं0 व 25/4 आयुध अधिनियम का आरोप पृथक प्रपत्र पर विरचित किया गया। अभियोजन अपने प्रस्तावित साक्षियों की सूची धारा 226 दं0प्र0सं0 के तहत पेश करे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 27.02.2025 को पेश हो।

(दिलीप कुमार सचान)
दिनांकः 29.01.2025 **अपर सत्र न्यायाधीश,**
खुरजा(बुलन्दशहर)

Digitally signed by DILIP KUMAR SACHAN
Date: 2025.01.30 10:20:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court